उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
सं0 /2014/181(120)/XXVII(8)/2008
दिनांकः: देहरादून :: 04 ~~जनवरी~~ फरवरी, 2014

अधिसूचना

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियम, 2005 के नियम 5 के उपनियम (3) सपठित उपनियम (2) एवं उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 42 तथा धारा 43 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, समस्त डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर, समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर तथा समस्त वाणिज्य कर अधिकारियों को, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 42 एवं धारा 43 के अधीन अधिकारों का प्रयोग, सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में, करने हेतु अधिकृत करते हैं;

परन्तु यह कि उपर्युक्त प्राधिकृत अधिकारियों में से किसी भी अधिकारी को उसकी अन्यथा अधिकारिता की सीमाओं के परे, उक्त धाराओं के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करने से पूर्व, ऐसे उच्चत्तर अधिकारी, जैसा कि आयुक्त कर द्वारा निर्धारित किया जाय, की पूर्व अनुज्ञा लेना आवश्यक होगा।

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

सं0 158 /2014/181(120)/XXVII(8)/2008 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
2–निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियॉ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100–100 प्रतियॉ वित्त अनुभाग–8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
3–भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
4–सलाहकार 'कर', उत्तराखण्ड शासन।
5–एन0आई0सी0
6–गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,
(प्रदीप सिंह रावत)
संयुक्त सचिव, वित्त।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No.158 /2014/181(120)/XXVII(8)/2008 dated 04 ~~January~~ February, 2014 for general information.

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No. 158 /2014/181(120)/XXVII(8)/ 2008
Dehradun :: Dated: :04 ~~January~~ February, 2014

Notification

In exercise of the powers conferred by sub-rule (3) of The Uttarakhand Value Added Tax Rule, 2005 read with sub-rule (2) of rule 5 and section 42 and section 43 of The Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005, the Governor is pleased to authorise all the Deputy Commissioners Commercial Tax, all the Assistant Commissioners Commercial Tax and all the Commercial Tax Officers to exercise the powers of section 42 and section 43 of The Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005, within whole of the State of Uttarakhand;

Provided that, prior permission of such higher officer, as decided by the Commissioner, shall be necessary before any powers under the said sections are exercised by any of the aforesaid officers beyond the limit of his otherwise jurisdiction.

(Rakesh Sharma)
Additional Chief Secretary.